Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में रेल्वे कार्यशाला का सहायक कार्मिक अधिकारी 12 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा आज गुरूवार कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, कार्यशाला बीकानेर को परिवादी से 12 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट बिल पास करने की एवज में नरेन्द्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, कार्यशाला बीकानेर द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियाँ** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये नरेन्द्र सिवासिया पुत्र श्री पांचुलाल सिवासिया निवासी मकान नं0 481, चौरसिया बास कॉलोनी, वैशालीनगर, अजमेर हाल सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेल्वे, कार्यशाला लालगढ़, बीकानेर को परिवादी से 12 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।